प्रेषक,

आकाश दीप,

विशेष सचिव,

उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

ग्रामीण आवास आयुक्त,

उ0प्र0 गामीण आवास परिषद,

लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 19 जनवरी, 2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण के माध्यम से ली गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि को आहरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0 प्र0 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हडको से प्राप्त ऋण रू0 659.54 करोड को पी0एल0ए0 में जमा करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-318/38-9-2015-2 (ग्रा0आ0प0)/2015 दिनांक 7.4.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-416/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2015, दिनांक-15जनवरी, 2016 द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण के माध्यम से ली गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि को आहरित करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-31-03-2015 को हडको द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद को लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 मे नये लाभार्थियों के लिये आवास निर्माण हेतु शासकीय अनुबन्ध पत्र के द्वारा धनराशि रू0-1500 करोड से प्रथम किश्त के रूप मे वास्तविक रूप में प्राप्त धनराशि रू0-6,59,54,18,243.00 को ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-318/38-9-2015-2(ग्रा0आ0प0)/2015, दिनांक-07-04-2015 के द्वारा आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में जमा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में से वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के चयनित/पात्र लाभार्थियों के लिए लोहिया आवास निर्माण हेतु धनराशि **रू0-48327.276 लाख (रू0 चार अरब तिरासी करोड़ सत्ताइस लाख सत्ताइस हजार छ सौ मात्र)** को आहरित कर व्यय करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)- उपरोक्त धनराशि का आहरण लाभार्थियों के चयन हो जाने पर ही किया जायेगा। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि जनपदों को उनके लक्ष्यों के सापेक्ष आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदों द्वारा उक्त धनराशि लाभार्थियों के खातों में ई-पेमेंट द्वारा एक सप्ताह में अन्तरित की जायेगी।

(2)- पी0एल0ए0 में जमा धनराशि एवं आहरित धनराशि का लेखा-जोखा रखने का दायित्व उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद का होगा।

भवदीय,

(आकाश दीप)
विशेष सचिव ।

संख्या-1/2016/47(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, क़षि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लख्नऊ।
6- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
7- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,/जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
8- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ।
9- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- कोषाधिकारी, जिला कोषागार, लखनऊ ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
13- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्यय)अनुभाग-4
14- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
15- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
16- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।